माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर

(कैम्प-उज्जैन)

प्रकरण क्र. /2015 निग. 1511-II-15

प्रार्थी अभिभाषक श्री संदेश पारीकर
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 01-6-15
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

प्रभुलाल पिता भैराजी,निवासी–ग्राम बड़ागांव तह–खाचरौद हाल मुकाम नागदा जिला उज्जैन ....रिव्हीजनकर्ता

विरूद्ध

बद्रीलाल पिता बालमुकंद गारी निवासी–. बड़ागांव तह–खाचरौद जिला उज्जैन...... प्रत्यर्थी

रिव्हीजन अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भू.रा.स.

15-6-15

माननीय महोदय,

रिव्हीजनकर्ता की ओर से माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय खाचरौद जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण क्र. 14 अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक–11/05/2015 से दुखी व असन्तुष्ट होकर रिव्हीजन का स्मृति लेख निम्नवत स्वरूप में सादर प्रस्तुत हैं। त्रुटिवश माननीय अपीली न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक–11/05/2015 के स्थान 15/05/2015 अंकित किया गया है रिव्हीजन आदेश दिनांक–11/05/2015 के विरूद्ध प्रस्तुत है :–

निरन्तर............2

प्रभुलाल

प्रकरण के अंतिम निराकरण तक स्थगित किया है। अनुविभागीय अधिकारी की आदेश पत्रिका की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में ही अपील के निराकरण होने तक स्थगित किया है। व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी हैं। अतः अनुविभागीय अधिकारी ने उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही को रोककर व्यवहार न्यायालय के आदेश का पालन किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी/514-दो/2015 जिला उज्जैन

प्रभूलाल विरूद्ध बद्रीलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-6-2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी खाचरौद जिला उज्जैन के प्रकरण कमांक 14/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 11–5–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ याचिका के अनुसार संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विवादित भूमि पर अनावेदक के बतौर कब्जेदार के रूप में नाम इंद्राज के एकपक्षीय आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी को अपील की। इसी के संबंध में एक व्यवहार वाद भी दायर किया गया। उक्त व्यवहाद वार के विरूद्ध अपीलीय व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रकरण के निराकरण तक स्थगित किया। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 11–5–15 के द्वारा अपीलीय व्यवहार न्यायालय के स्थगन आदेश के पालन में उनके समक्ष अपील को प्रकरण के निराकरण तक स्थगित कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध यइ निगरानी पेश की है। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण के साथ संलग्न अतिरिक्त जिला न्यायाधीश खाचरौद जिला उज्जैन के अपील कमांक 8ए/15 में आदेश प्रति दिनांक 5–3–2015 का अवलोकन किया जिसके द्वारा अपीलग्रस्त निर्णय एवं जय पत्र का निष्पादन इस	